HINDUSTAN, Delhi, 19.11.2018
Page No. 1, Size:(12.83)cms X (8.66)cms.

सिम से आधार डी-लिंक जरूरी नहीं

नई दिल्ली | मदन जैड़ा

आधार प्रमाणीकरण के जरिए जारी किए गए 50 करोड़ से अधिक फोन कनेक्शन बंद या अमान्य नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आधार से डी-लिंक कराने के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है।

'हिन्दुस्तान' से विशेष बातचीत में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल डी-लिंक नहीं कराना चाहता है तो वह अपना आधार केवाईसी जारी रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति आधार डी-लिंक कराना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। मगर उसे सेवा प्रदाता को कोई दूसरा वैध दस्तावेज देना होगा। पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल के लिए ऑनलाइन ईकेवाईसी पर रोक लगाई है। लेकिन प्रमाणीकरण का जो कार्य हो चुका है और उससे जो मोबाइल कनेक्शन जारी किए गए हैं, उन्हें डी-लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

कंपनियों से प्लान मांगा : सीईओ ने कहा, हमने मोबाइल कंपनियों को आधार अधिप्रमाणन से हटाने के लिए एग्जिट प्लान देने को कहा है। कंपनियों ने कुछ अतिरिक्त समय की मांग की है ताकि वे वैकल्पिक डिजिटल तरीके से सेवा बहाली बनाए रख सकें। मोबाइल सेवा उपयोग कर रहे लोगों को परेशानी न हो इसलिए हम उनके द्वारा एक वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया और एग्जिट प्लान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

केवाईसी बदलने का विकल्प मौजूद

यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा कि स्वेच्छा से केवाईसी बदलने का विकल्प ग्राहकों के पास है। यह निर्णय लोगों को लेना होगा कि वे मोबाइल के लिए पूर्व में दिया गया अपना ई-केवाईसी जारी रखना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा केवाईसी मुहैया कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वेच्छा से आधार कार्ड के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई है।